

Universities might re-employ a distinguished teacher after he has superannuated, if such re-employment is in the interest of teaching and research work in the University. Appropriate provisions are accordingly made in the relevant statutes of Central Universities.

(b) Yes, Sir.

(c) In a recent case, the Governing Body of a College of the Delhi University had decided not to re-employ a retired Principal. The University had amended the relevant Rule to make provision for the Governing Body to obtain the approval of the Vice-Chancellor before deciding whether a superannuated teacher or Principal should or should not be re-employed. However this amendment to the Ordinance was disallowed by the Visitor of the Delhi University. Accordingly, a College has to obtain approval of the Vice-Chancellor only in such cases where the Governing Bodies decide to re-employ a superannuated Principal, or teacher. In another case, the Governing Body of a College had decided to re-employ a retired Principal with the approval of the Vice-Chancellor. However, at its subsequent meeting, the Governing Body did not confirm the earlier decision. This resulted in a dead-lock. The matter is at present *sub-judice*. The concerned College is functioning normally as the Court had, by an interim Order, appointed an Administrator for the College.

खेलकूद परिषद

6396. श्री रामावतार शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक राज्य में खेलकूद परिषदों का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने खेलों और खेलकूद की प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगल) : (क) और (ख). इस मंत्रालय की मौजूदा जानकारी के अनुसार 17 राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल परिषदों का गठन किया जा चुका है। शेष राज्यों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। 1980 में प्रकाशित "अखिल भारतीय खेल परिषद, राज्य खेल परिषदें और राज्य खेल परिषदों को अनुदान" नामक प्रकाशन के भाग II में इस मंत्रालय द्वारा राज्य खेल परिषदों की एक सूची का संकलन किया गया था। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में भी उपलब्ध करा दी गई थी। फिर भी, अद्यतन सूचना राज्यों से एकत्र की जा रही है।

(ग) चूंकि खेल राज्य का विषय है; अतः इस मंत्रालय ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। फिर भी, राज्य सरकारों को 1975 में खेलों और शारीरिक शौष्ठव के सम्बन्ध में नीतियों और कार्यक्रमों सम्बन्धी कुछ मार्गदर्शी रूप रेखाएं जारी की गई थी। मार्गदर्शी रूप रेखाओं की प्रति राष्ट्रीय खेल नीति प्रारूप, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को उपलब्ध करा दी गई हैं, के अनुबन्ध-II में उपलब्ध हैं।

आल इंडिया रेलवे एम्प्लाइज कांफेडरेशन का सम्मेलन

6397. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आल इंडिया रेलवे एम्प्लाइज कांफेडरेशन का चौथा वार्षिक सम्मेलन 20 से 22 फरवरी, 1982 तक धनबाद में आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त सम्मेलन में पारित किये गये संकल्प उन्हें भेजे गये थे;

(ग) तत्संबंधी व्योरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) भाल इंडिया रेलवे एम्प्लाएज फेडरेशन, जो एक मान्यता प्राप्त संगठन है, द्वारा भेजी गयी सूचना से पता चलता है कि उन्होंने सन्दिग्ध तारीखों को तथा स्थान पर वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया था।

(ख) और (ग) इस संगठन द्वारा इस सम्मेलन में पारित संकल्पों की प्रति प्राप्त हो गयी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कानफेडरेशन जो मान्यता प्रधान करने तथा उन्हें बातचीत करने का अधिकार देने जैसी उनकी कुछ "मांगों" का उल्लेख है। इसके अलावा, रेल दुर्घटनाओं, समय-पालन में हानि, रेल दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशों, रेल यात्री किराये और भाड़े आदि जैसे मसलों के संबंध में उनके विचार व्यक्त किये गये हैं ;

(घ) सरकार ने भाल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन तथा नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन नामक दो अखिल रेलवे फेडरेशन को पहले ही मान्यता दे रखी है तथा उनके सम्बद्ध यूनियनों को क्षेत्रीय रेलों पर मान्यता प्राप्त है। सरकार की नीति है कि रेलों पर ट्रेड यूनियन संगठनों की संख्या न बढ़ायी जाये।

रेल प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर पहले से ही एक तीन स्तरीय स्थायी

वार्तात्मक कार्यरत है जहां पर बैठकों के माध्यम से रेल कर्मचारियों की मांगों पर विचार-विमर्श किया जाता है और वित्तीय तथा अन्य तंगियों के भीतर उनका समाधान निकाला जाता है।

राजेन्द्र नेत्र अस्पताल, दिल्ली में आंखों का एक्स-रे

6398. श्री रामावतार शास्त्री :
क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजेन्द्र नेत्र अस्पताल, दिल्ली में एक ऐसी मशीन है जो, अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच कि इस अस्पताल में आंखों का एक्सरे सप्ताह में केवल दो बार, अर्थात् बुधवार और शुकवार को किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि एक सप्ताह में एक दिन ही केवल आठ रोगियों की आंखों का एक्स-रे किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस अस्पताल में एक्स-रे की अधिक सुविधायें प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। सप्ताह के सारे दिनों में एक्स-रे किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।